

Order No:-316L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Janardan Mishra** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या.212 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	अवि तिवारी	श्री अरूण तिवारी Mob: 9039195889	1	NO. 1 REWA
2	उज्ज्वल गौतम	श्री प्रसून कुमार गौतम Mob: 7000953344	2	NO. 1 REWA
3	सिद्धार्थ पाण्डेय	श्री भूपेन्द्र शर्मा Mob: 9131370466	8	NO. 2 REWA
4	अस्तित्व सिंह सिसोदिया	श्री स्वदीप सिंह सिसोदिया Mob: 9074757617	1	NO. 1 REWA
5	अंशुमान द्विवेदी	श्री गंजन कुमार द्विवेदी Mob: 9770581820	4	NO. 1 REWA
6	अदित्री पाण्डेय	श्री राजीव कुमार पाण्डेय Mob: 9229993552	3	NO. 2 REWA
7	ओम मिश्रा	श्री उमेश कुमार मिश्रा Mob: 9827307262	2	NO. 2 REWA
8	कनिष्का मिश्रा	मनोज मिश्रा Mob: 9893151244	4	NO. 2 REWA
9	देवम सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह Mob: 9767699273	5	NO. 2 REWA
10	स्मृति द्विवेदी	स्व. श्री प्रणव द्विवेदी Mob: 8889557543	9	NO. 1 REWA

कृ० पू० उ०
A. 01/07/21


निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Janardan Mishra माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **JABALPUR** संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)